समयबद्ध / महत्वपूर्ण
संख्या:एन0जी0टी0–235/नौ–5–2024–71रिट/2024

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

रजिस्ट्रार
मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण,
कॉपरनिकस मार्ग,
नई दिल्ली।

नगर विकास अनुभाग–5 लखनऊ:दिनांक: 29 अगस्त, 2024

विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा योजित Misc Application in Disposed of Cases No.61/2024 In ओ0ए0 संख्या–42/2024 Madasir Hasan & Ors Vs State of U.P. में पारित आदेश दिनांक 12.08.2024 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा योजित Misc Application in Disposed of Cases No.61/2024 In ओ0ए0 संख्या–42/2024 Madasir Hasan & Ors Vs State of U.P. में पारित आदेश दिनांक 12.08.2024 (प्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें।

2– उक्त के संबंध में जिलाधिकारी, आजमगढ़ के पत्र संख्या–393/एल0बी0सी0(एन0जी0टी0) दिनांक 28.08.2024 **(संलग्नक–2)** के माध्यम से अवगत कराया गया है कि मोहल्ला जलांधरी के 301 घरो से निकलने वाले सीवेज के स्थायी निस्तारण हेतु जलांधरी मोहल्ले में कुल 1600 मी0 सीवर लाइन कार्य कराया जा रहा है, जिसके सापेक्ष 1100 मी0 सीवर लाईन बिछाने जाने का कार्य पूर्ण करा लिया गया है तथा 500 मी0 सीवर लाइन बिछाने का कार्य प्रगति पर है। आजमगढ़ नगर पालिका परिषद हेतु अमृत कार्यक्रम के अन्तर्गत 8 एम0एल0डी0 सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट स्थापित किया जा रहा है, जिसका लगभग 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है, शेष कार्य प्रगति पर है। शीघ्र ही इसका संचालन प्रारम्भ हो जायेगा। उक्त मोहल्ले में जल निगम (नगरीय), आजमगढ़ द्वारा सीवर लाईन बिछाने का कार्य किया जा रहा है, जो लगभग 95 प्रतिशत तक पूर्ण करा लिया गया है और शेष 5 प्रतिशत कार्य दिनांक 15.09.2024 तक पूर्ण करा लिया जायेगा। तदोपरान्त् उक्त मोहल्ले के समस्त घरेलू उत्प्रवाह को एस0टी0पी0 के माध्यम से उपचारित करने की कार्यवाही प्रारम्भ हो जायेगी। साथ ही यह भी अवगत कराया है कि आजमगढ़ में एफ0एस0टी0पी0 का संचालन भी हो रहा है तथा नियमित रूप से फीकल शोधन की कार्यवाही भी की जा रहा है।

मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 01.07.2024 के समादर में तत्काल मोहल्ले जलांधरी में स्थित गढ़ही के साथ सम्पूर्ण मोहल्ले में अवस्थित घरों के घरेलू उत्प्रवाह के संबंध में नगर पालिका परिषद, आजमगढ़ द्वारा सर्वे किया गया था। उक्त मोहल्ला घनी आबादी वाली पुरानी बस्ती है, जिसमें कुल 301 घर अवस्थित है। इसी मोहल्ले में उत्तर तरफ प्रश्नगत गढ़ही पड़ती है, जिसके चारो तरफ 43 घर बने हुए है, जिनमे से तत्समय 10 घरों द्वारा उत्प्रवाह को सीधे गढ़ही में निक्षेपित किया जा रहा था, इन घरो का सर्वे किया गया और पाया गया कि इन घरों में सैप्टिक टैंक नहीं बनाया गया था तथा उत्प्रवाह को गढ़ही में निक्षेपित किया

Arun Sir GO-VC

– 2 –

जा रहा है, जिसको रोकने के लिए दिनांक 25.04.2024, 26.07.2024 को नगर पालिका परिषद, आजमगढ़ द्वारा नोटिस निर्गत किया गया था। उक्त गृह स्वामियों को उनके घरों के पास लगभग 100 मीटर की दूरी पर स्थित 06 सीटर सामुदायिक शौचालय के प्रयोग करने हेतु तथा गढ़ही में किसी भी प्रकार के उत्प्रवाह को गिराने से स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया था, किन्तु उक्त भवन स्वामियों द्वारा कोई भी अनुपालन न करने के कारण उनके विरूद्ध जल (प्रदूषण का निवारण और नियत्रंण अधिनियम 1974) के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद, आजमगढ़ द्वारा दिनांक 24.08.2024 को थाना कोतवाही जनपद–आजमगढ़ में अपराध संख्या–0474/2024 प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करा दिया गया है। वर्तमान में उक्त गृह स्वामियो के सैप्टिक टैंक का निर्माण प्रक्रियाधीन है तथा सामुदायिक शौचालय का उपयोग किया जा रहा है। वर्तमान में गढ़ही में किसी भी प्रकार उत्प्रवाह नहीं हो रहा हैं। मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 01.07.2024 के उपरान्त उक्त गढ़ही की साफ–सफाई के लिए नगर पालिका परिषद, आजमगढ़ द्वारा प्रतिदिन दोनो पालियों में 01 सफाई नायक, 04 सफाई कर्मियों के माध्यम से सफाई करायी जा रही है और गढ़ही के एकत्र पानी का नियमित बायोरेमिडिएशन कराया जा रहा है। नगर पालिका परिषद, आजमगढ़ द्वारा उक्त गढ़ही को सुन्दरीकरण हेतु कार्य योजना शासन में स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जाने हेतु आगणन तैयार किया जा रहा है।

यही भी अवगत कराया गया है कि मोहल्ला जालंधरी घनी आबादी वाली पुरानी बस्ती (ओल्ड सेटेलमेन्ट) का मोहल्ला है, नगर पालिका परिषद, आजमगढ़ द्वारा उक्त मोहल्ले में आवश्यकता अनुरूप अवस्थापना सुविधाओं यथा नाली इत्यादि का निर्माण कराया गया है। इसी क्रम में उक्त मोहल्ले में 6 सीटर सामुदायिक शौचालय का निर्माण भी विगत वर्षो में कराया गया है जिससे मल से प्रदूषण उत्पन्न से बचा जा सके।

कृपया उपरोक्त वस्तुस्थिति से अवगत होना चाहें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

29.08.2024

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

Arun Sir GO-VC

Item No.14 Court No. 2

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Misc Application in Disposed of Cases No. 61/2024
In
Original Application No. 42/2024

Madasir Hasan and Ors Applicant

Versus

State of U.P. Respondent

Date of hearing: 12.08.2024

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE SUDHIR AGARWAL JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER

Applicant: None

Respondents: Ms. Sthavi Asthana, Advocate for UPPCB
Mr. Abhishek Krishna, Advocate for Respondent No. 3 (through VC).

ORDER

1. Respondent 3 is represented by Sh. Abhishek Krishna, Advocate and states as a last opportunity he be granted 10 days further time to submit response. He may do so.

2. Respondent 4 & 5 are neither represented through their authorized representatives nor through counsel and have also not submitted any response pursuant to order dated 01.07.2024. They are however, also granted as a last opportunity, 10 days' time to file their response, if any, failing which respondent 4 & 5 shall appear in person on the next date.

3. List on 30.08.2024.

4. Registry is directed to communicate this order to respondent 4 and 5.

Sudhir Agarwal, JM

Dr. Afroz Ahmad, EM

August 12, 2024
Misc Application in Disposed of Cases No. 61/2024
In Original Application No. 42/2024
AB

Item No.10 Court No. 2

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

MA No.61/2024
In
Original Application No. 42/2024

Madasir Hasan and Ors. Applicant

Versus

State of UP Respondent

Date of hearing: 01.07.2024

CORAM: HON'BLE MR. JUSTICE SUDHIR AGARWAL JUDICIAL MEMBER
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER

Applicant: None
Respondent: None

ORDER

1. Original application was registered exercising suo-moto jurisdiction taking cognizance of a newspaper report sent by Muddasar Hasan complaining that at Village Jalandhari, District Azamgarh, there is low lying area wherein domestic sewage is collected and due to overflow it enters residences of local people causing lot of pollution and health hazards to them and no action was taken by concerned authorities in the matter.

2. Original application was disposed of by Tribunal vide order dated 06.03.2024 observing that complaint at the first instance may be looked into by concerned authorities at district level and, therefore, Tribunal constituted a joint committee comprising State PCB and District Magistrate, Azamgarh. Committee was directed to collect relevant information and take appropriate action for remediation and rejuvenation

so that alleged pollution may be removed. Committee was required to submit a compliance report with the Registrar General who was supposed to place the matter before the Tribunal if any further order is required.

3. It is pursuant to the said order, matter has come up before us whereby report of District Magistrate, Azamgarh dated 02.05.2024 has been registered as MA 61/2024. Report infact confirms the complaint. However, it says that after site inspection, officials of Nagar Palika Parishad, Azamgarh took steps for arresting the discharge of domestic effluent in Mohalla Jalandhari. For diversion of sewage effluent a proposal for construction of drain was given on which action is being taken. UP Jal Nigam in Nagar Palika area is constructing 8 MLD sewage treatment plant and also laying down 2 km sewer line of which 85% of work has been completed.

4. It shows that diversion drain/sewer line is yet in the stage of construction, discharge of sewage effluent in area is still continuing. We are unable to understand as to how the said discharge has been stopped or diverted when the drains/sewer lines have not been constructed and operated till date and they are in the process of construction. This is a serious failure of compliance of environmental laws and norms on the part of the concerned authorities particularly Nagar Palika Parishad, Azamgarh and District Magistrate, Azamgarh and operating agency Le. UP Jal Nigam. This is clearly violation of Section 24 of Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (hereinafter referred to as **Water Act, 1974**').

5. We are also surprised as to why in such circumstances no punitive, preventive and remedial action has been taken by Uttar Pradesh Pollution Control Board against the violators.

6. We, accordingly, implead the following as respondents:

(i) Uttar Pradesh Pollution Control Board through its Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Building. No. TC-12V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar.;

(ii) District Magistrate, Azamgarh;

(iii) Nagar Palika Parishad, Azamgarh, through its Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Azamgarh;

(iv) UP Jal Nigam, through its Managing Director, Uttar Pradesh Jal Nigam (Rural) 6, Rana Pratap Marg, Hazratganj, Lucknow, Uttar Pradesh;

(v) Principal Secretary, Urban Development, UP, Shri Mahavir Prasad Bapu Bhawan, Lucknow.

7. Registry is directed to issue notices to all the above respondents. They may file their response and show particularly as to why appropriate punitive action may not be taken in respect of the past and continuing violations with regard to discharge of sewage effluent on the open la without treatment causing pollution and thereby violating Section Water Act, 1974.

8. List on 12.08.2024.

Sudhir Agarwal, JM

Dr. Afroz Ahmad, EM

July 01, 2024
MA No.61/2024
JG.

ई-मेल/स्पीड पोस्ट

प्रेषक,

जिलाधिकारी
आजमगढ़ ।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-5
बापू भवन, लखनऊ

संख्याः- 393 /एल0बी0सी0(एन0जी0टी0) दिनांकः- 28 अगस्त, 2024

विषयः- मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण नई दिल्ली योजित Misc Application in Disposed of Cases No. 61/2024 In ओ0ए0 संख्या-42/2024 Madasir Hasan & Ors Vs State of U.P. में पारित आदेश दिनांक 12.08.2024 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया शासन के पत्र संख्या-एन0जी0टी0-230/नौ-5-2024-71रिट/2024 नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक 27 अगस्त, 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में योजित Misc Application in Disposed of Cases No. 61/2024 In ओ0ए0 संख्या-42/2024 Madasir Hasan & Ors Vs State of U.P. में पारित आदेश दिनांक 12.08.2024 के अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है। प्रकरण में मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 01.07.2024 का मुख्य अंश निम्नवत् है-

Registry is directed to issue notices to all the above respondents. They may file their response and show particularly as to why appropriate punitive action may not be taken in respect of the past and continuing violations with regard to discharge of sewage effluent on the open la without treatment causing pollution and thereby violating section water Act, 1974.

मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के उपरोक्त आदेश दिनांक 01.07.2024 के समादर में अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद आजमगढ़ से अद्यतन आख्या आहूत की गयी है। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद आजमगढ़, द्वारा अपनी आख्या पत्रांक-428/न0पा0प0आ0/2024-25 दिनांक 09.08.2024 द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में जालंधरी मोहल्ले में प्रश्नगत गढ़ही में किसी भी प्रकार का घरेलू उत्प्रवाह नहीं जा रहा है। पूर्व के जो भी उत्प्रवाह उक्त गढ़ही मे जा रहा था उसके आउटलेट को बन्द करा दिया गया है तथा घरों से निकलने वाले ग्रे वाटर को नालियों से जोडते हुए मुख्य नाले के माध्यम से शहर के बाहर निकाल दिया जा रहा है। उक्त उत्प्रवाह का बायोरेमिडिएशन कराया जा रहा है।

अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम नगरीय आजमगढ़ की आख्या दिनांक 24.08.2024 जो मूलरूप से अधीक्षण अभियन्ता निर्माण को सम्बोधित है और अधोहस्ताक्षरी को पृष्ठांकित है में उल्लेख है कि मोहल्ला जलांधरी के 301 घरो से निकलने वाले सीवेज के स्थायी निस्तारण हेतु जलांधरी मोहल्ले में कुल 1600 मी0 सीवर लाइन कार्य कराया जा रहा है जिसके सापेक्ष 1100 मी0 सीवर लाईन बिछाने जाने का कार्य पूर्ण करा लिया गया है। तथा 500 मी0 सीवर लाइन बिछाने का कार्य प्रगति पर है। आजमगढ़ नगर पालिका परिषद हेतु अमृत कार्यक्रम के अन्तर्गत 8 एम0एल0डी0 सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट जिसका लगभग 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष कार्य प्रगति पर है। शीघ्र ही इसका संचालन प्रारम्भ हो जायेगा। उक्त मोहल्ले में जल निगम (नगरीय) आजमगढ़ द्वारा सीवर लाईन बिछाने का कार्य किया जा रहा है जो कि लगभग 95 प्रतिशत तक पूर्ण करा लिया गया है और शेष 5 प्रतिशत कार्य दिनांक 15.09.2024 तक पूर्ण करा लिया जायेगा तदुपरान्त उक्त मोहल्ले के समस्त घरेलू उत्प्रवाह को एस0टी0पी0 के माध्यम से उपचारित करने की कार्यवाही प्रारम्भ हो जायेगी। साथ ही अवगत कराना है कि आजमगढ़ में एफ0एस0टी0पी0 का संचालन भी हो रहा है तथा नियमित रूप से फिकल का शोधन की कार्यवाही भी किया जा रहा है।

मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के आदेश दिनांक 01.07.2024 के समादर में तत्काल मोहल्ले जलांधरी में स्थित गढ़ही के साथ सम्पूर्ण मोहल्ले मे अवस्थित घरों के घरेलू उत्प्रवाह के संबंध में नगर पालिका परिषद द्वारा सर्वे किया गया था। उक्त मोहल्ला घनी आबादी वाली पुरानी बस्ती है जिसमें कुल 301 घर अवस्थित है इसी मोहल्ले में उत्तर तरफ प्रश्नगत गढ़ही पड़ती है जिसके चारो तरफ 43 घर बने हुऐ है जिनमे से तत्समय 10 घरों द्वारा उत्प्रवाह को सीधे गढ़ही में निक्षेपित किया जा रहा था, इन घरो का सर्वे किया गया और पाया गया कि इन घरों में सैप्टिक टैंक नहीं बनाया गया था तथा उत्प्रवाह को गढ़ही में निक्षेपित किया जा रहा है, जिसको रोकने के लिए दिनांक 25.04.2024, 26.07.2024 को नगर पालिका परिषद आजमगढ़ द्वारा नोटिस निर्गत किया गया तथा उक्त गृह स्वामियों को उनके घरों के पास लगभग 100 मीटर की दूरी पर स्थित 06 सीटर सामुदायिक शौचालय के प्रयोग करने हेतु तथा गढ़ही में किसी भी प्रकार के उत्प्रवाह को गिराने से स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया था, किन्तु उक्त भवन स्वामियों द्वारा कोई भी अनुपालन न करने के कारण उनके विरूद्ध जल (प्रदूषण का निवारण और नियत्रंण अधिनियम

क्रमशः 2 पर

1974) के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत परिषद द्वारा दिनांक 24.08.2024 को थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ में अपराध संख्या-0474/2024 प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करा दिया गया है। वर्तमान में उक्त गृह स्वामियों के सैप्टिक टैंक का निर्माण प्रक्रियाधीन है तथा सामुदायिक शौचालय का उपयोग किया जा रहा है। वर्तमान में गढ़ही में किसी भी प्रकार उत्प्रवाह नहीं हो रहा है। मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 01.07.2024 के उपरान्त उक्त गढ़ही की साफ-सफाई के लिए नगर पालिका परिषद आजमगढ़ द्वारा प्रतिदिन दोनो पालियों में 01 सफाई नायक 04 सफाई कर्मियों के माध्यम से सफाई करायी जा रही है और गढ़ही के एकत्र पानी का नियमित बायोरेमिडिएशन कराया जा रहा है। नगर पालिका परिषद आजमगढ़ द्वारा उक्त गढ़ही को सुन्दरीकरण हेतु कार्ययोजना शासन में स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जाने हेतु आगणन गठित कराया जा रहा है। नगर पालिका परिषद आजमगढ़ मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के आदेश का सम्यक अनुपालन किसी प्रकार की शिथिलता नहीं बरतेगी।

यह भी अवगत कराना है कि मोहल्ला जालंधरी धनी आबादी वाली पुरानी बस्ती (Old Settlement) का मुहल्ला है, नगर पालिका परिषद आजमगढ़ द्वारा उक्त मोहल्ले में आवश्यकता अनुरूप अवस्थापना सुविधाओ यथा नाली इत्यादि का निर्माण कराया गया है इसी क्रम में उक्त मोहल्ले में 6 सीटर सामुदायिक शौचालय का निर्माण भी विगत वर्षो में कराया गया है जिससे मल से प्रदूषण उत्पन्न से बचा जा सके।

अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद आजमगढ़ की आख्या दिनांक 28.08.2024 एवं अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 जलनिगम नगरीय आजमगढ़ की आख्या दिनांक 24.08.2024 एवं फोटोग्राफ एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 24.08.2024 की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर सेवा में प्रेषित है।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(विशाल भारद्वाज)
जिलाधिकारी
आजमगढ़

कार्यालय नगर पालिका परिषद आजमगढ़

पत्रांकः- 467 **/न0पा0प0आ0/2024-25** **दिनांकः-** 28 **अगस्त, 2024**

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)/
प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय
आजमगढ़।

विषयः- मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण प्रमुख बेंच नई दिल्ली द्वारा एम0ए0नं0 61/2024 (मूल प्रार्थना-पत्र संख्या-42/2024) मदस्सिर हसन व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 01.07.2024 के अनुपालन के संबंध में वांछित स्पष्ट आख्या।

महोदय,

कृपया अपने कार्यालय के पत्र संख्या-387/एल0बी0सी0 दिनांक 23.08.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा योजित Misc Application in Disposed of Cases No. 61/2024 In ओ0ए0 संख्या-42/2024 Madasir Hasan & Ors Vs State of U.P. में पारित आदेश दिनांक 12.08.2024 के अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी है। उक्त के क्रम में अनुपालन आख्या निम्नवत् है-

मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के उपरोक्त आदेश दिनांक 01.07.2024 के समादर में अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद आजमगढ़ से अद्यतन आख्या आहूत की गयी है। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद आजमगढ़, द्वारा अपनी आख्या पत्रांक-428/न0पा0प0आ0/2024-25 दिनांक 09.08.2024 द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में जालंधरी मोहल्ले में प्रश्नगत गढ़ही में किसी भी प्रकार का घरेलू उत्प्रवाह नहीं जा रहा है। पूर्व के जो भी उत्प्रवाह उक्त गढ़ही मे जा रहा था उसके आउटलेट को बन्द करा दिया गया है तथा घरों से निकलने वाले ग्रे वाटर को नालियों से जोडते हुए मुख्य नाले के माध्यम से शहर के बाहर निकाल दिया जा रहा है। उक्त उत्प्रवाह का बायोरेमिडिएशन कराया जा रहा है।

अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम नगरीय आजमगढ़ की आख्या दिनांक 24.08.2024 जो मूलरूप से अधीक्षण अभियन्ता निर्माण को सम्बोधित है और अधोहस्ताक्षरी को पृष्ठांकित है में उल्लेख है कि मोहल्ला जलांधरी के 301 घरो से निकलने वाले सीवेज के स्थायी निस्तारण हेतु जलांधरी मोहल्ले में कुल 1600 मी0 सीवर लाइन कार्य कराया जा रहा है जिसके सापेक्ष 1100 मी0 सीवर लाईन बिछाने जाने का कार्य पूर्ण करा लिया गया है। तथा 500 मी0 सीवर लाइन बिछाने का कार्य प्रगति पर है। आजमगढ़ नगर पालिका परिषद हेतु अमृत कार्यक्रम के अन्तर्गत 8 एम0एल0डी0 सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट जिसका लगभग 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। शेष कार्य प्रगति पर है। शीघ्र ही इसका संचालन प्रारम्भ हो जायेगा। उक्त मोहल्ले में जल निगम (नगरीय) आजमगढ़ द्वारा सीवर लाईन विछाने का कार्य किया जा रहा है जो कि लगभग 95 प्रतिशत तक पूर्ण करा लिया गया है और शेष 5 प्रतिशत कार्य दिनांक 15.09.2024 तक पूर्ण करा लिया जायेगा तदुपरान्त उक्त मोहल्ले के समस्त घरेलू उत्प्रवाह को एस0टी0पी0 के माध्यम से उपचारित करने की कार्यवाही प्रारम्भ हो जायेगी। साथ ही अवगत कराना है कि आजमगढ़ में एफ0एस0टी0पी0 का संचालन भी हो रहा है तथा नियमित रूप से फिकल का शोधन की कार्यवाही भी किया जा रहा है।

मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के आदेश दिनांक 01.07.2024 के समादर में तत्काल मोहल्ले जलांधरी में स्थित गढ़ही के साथ सम्पूर्ण मोहल्ले मे अवस्थित घरों के घरेलू उत्प्रवाह के संबंध में नगर पालिका परिषद द्वारा सर्वे किया गया था। उक्त मोहल्ला घनी आबादी वाली पुरानी बस्ती है जिसमें कुल 301 घर अवस्थित है इसी मोहल्ले में उत्तर तरफ प्रश्नगत गढ़ही पड़ती है जिसके चारो तरफ 43 घर बने हुऐ है जिनमे से तत्समय 10 घरों द्वारा उत्प्रवाह को सीधे गढ़ही में निक्षेपित किया जा रहा था, इन

घरो का सर्वे किया गया और पाया गया कि इन घरों में सैप्टिक टैंक नहीं बनाया गया था तथा उत्प्रवाह को गढ़ही में निक्षेपित किया जा रहा है, जिसको रोकने के लिए दिनांक 25.04.2024, 26.07.2024 को नगर पालिका परिषद आजमगढ़ द्वारा नोटिस निर्गत किया गया तथा उक्त गृह स्वामियों को उनके घरों के पास लगभग 100 मीटर की दूरी पर स्थित 06 सीटर सामुदायिक शौचालय के प्रयोग करने हेतु तथा गढ़ही में किसी भी प्रकार के उत्प्रवाह को गिराने से स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया था, किन्तु उक्त भवन स्वामियों द्वारा कोई भी अनुपालन न करने के कारण उनके विरूद्ध जल (प्रदूषण का निवारण और नियत्रंण अधिनियम 1974) के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत परिषद द्वारा दिनांक 24.08.2024 को थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ में अपराध संख्या-0474/2024 प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करा दिया गया है। वर्तमान में उक्त गृह स्वामियों के सैप्टिक टैंक का निर्माण प्रक्रियाधीन है तथा सामुदायिक शौचालय का उपयोग किया जा रहा है। वर्तमान में गढ़ही में किसी भी प्रकार उत्प्रवाह नहीं हो रहा है। मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 01.07.2024 के उपरान्त उक्त गढ़ही की साफ-सफाई के लिए नगर पालिका परिषद आजमगढ़ द्वारा प्रतिदिन दोनो पालियों में 01 सफाई नायक 04 सफाई कर्मियों के माध्यम से सफाई करायी जा रही है और गढ़ही के एकत्र पानी का नियमित बायोरेमिडिएशन कराया जा रहा है। नगर पालिका परिषद आजमगढ़ द्वारा उक्त गढ़ही को सुन्दरीकरण हेतु कार्ययोजना शासन में स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जाने हेतु आगणन गठित कराया जा रहा है। नगर पालिका परिषद आजमगढ़ मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के आदेश का सम्यक अनुपालन किसी प्रकार की शिथिलता नहीं बरतेगी।

यह भी अवगत कराना है कि मोहल्ला जालंधरी धनी आबादी वाली पुरानी बस्ती (Old Settlement) का मुहल्ला है, नगर पालिका परिषद आजमगढ़ द्वारा उक्त मोहल्ले में आवश्यकता अनुरूप अवस्थापना सुविधाओ यथा नाली इत्यादि का निर्माण कराया गया है इसी क्रम में उक्त मोहल्ले में 6 सीटर सामुदायिक शौचालय का निर्माण भी विगत वर्षो में कराया गया है जिससे मल से प्रदूषण उत्पन्न से बचा जा सका। वर्तमान में मोहल्ला जलांधरी शिकायतकर्ता श्री मदस्सिर हसन से सम्पर्क करने पर ज्ञात हुआ कि शिकायतकर्ता सपरिवार दिल्ली में निवासरत है उनके परिवार के सदस्य मोहल्ला जलांधरी में निवास करते है।

अनुपालन आख्या मय् फोटोग्राफ, प्रथम सूचना रिपोर्ट संलग्न कर सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक-यथोपरि।

28/08/24

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
आजमगढ़।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु. 10 Rs. 10

NOTARIAL NOTARIAL CANCELLED

सत्यमेव जयते

INDIA

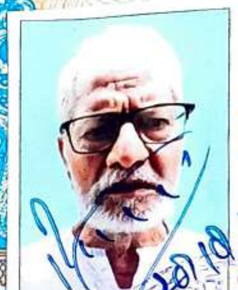

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 83AE 345062

Amil Kumar ... Commissioner Azamgarh Division Regd.No.-44(07)...998 U.P. GOVT

समक्ष:- अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, आजमगढ़।

शपथ पत्र मि० अब्दुल जब्बार कुरैशी निम्न है:-

1-मैं बहलफ बयान करता हूँ कि मेरा नाम अब्दुल जब्बार कुरैशी मेरे पिता का नाम अब्दुल रहीम निवासी मुहल्ला- जालन्धरी वार्ड सं० 25 आजमगढ़ का निवासी हूँ।

2-मैं बहलफ बयान करता हूँ कि शपथी द्वारा अपने आवास से दैनिक घरेलू कार्य उपयोग के उपरान्त निकलने वाला गन्दा पानी Grey Water तथा सेफटिक टैंक से निकलने वाला गन्दा पानी Black Water पोखरी में बहाया जा रहा था। नगर पालिका परिषद, आजमगढ़ द्वारा नोटिस निर्गत कर जिसे बन्द करा दिया गया है।

3-मैं बहलफ बयान करता हूँ कि शपथी द्वारा अपने घर में शौचालय सेफटिक टैंक का निर्माण कराया जा रहा है। जब तक मेरे द्वारा सेफटिक टैंक का निर्माण नहीं करा लिया जाता जै तब तक मेरे व मेरे परिवार द्वारा नगर पालिका परिषद आजमगढ़ द्वारा वार्ड सं० 25 मुहल्ला- जालन्धरी में निर्मित सामुदायिक शौचालय का उपयोग किया जायेगा।

4-मैं बहलफ बयान करता हूँ कि उपरोक्त कुल मजमून बयानहल्फी हाजा सही व सच है।

स्थान तस्दीक कलेक्ट्री कचहरी आजमगढ़। दिनांक - 28-08-2024 ई०,

ह०शपथी,

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES

NOTARIAL NOTARIAL

CANCELLED

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

83AE 345061

समक्ष :- अधिशासी अधिकारी,
नoपाoपo आजमगढ़।

बयानहल्फी मिo फैजान निम्नहै :-

1-मैं बहलफ बयान करता हूँ कि मेरा नाम फैजान मेरे पिता का नाम फिरोज अहमद निवासी मुo- जालन्धरी वार्ड नंo 25, आजमगढ़ का हूँ।

2-मैं बहलफ बयान करता हूँकि शपथी द्वारा अपने आवास से दैनिक घरेलू कार्य उपयोग के उपरान्त निकलने वाला गन्दा पानी Grey Water तथा सेफ्टिक टैंक से निकलने वाला गन्दा पानीं Black Water पोखरी में बहाया जा रहा था। नगर पालिका आजमगढ़ द्वारा नोटिस निर्गत कर जिसे बन्द करा दियागयाहै।

3-यह कि मैं बहलफ बयान करता हूँ कि शपथी द्वारा अपने घर में शौचालय सेफ्टीटैंक का निर्माण कराया जारहाहै, जब तक मेरे द्वारा सेफ्टी टैंक का निर्माण नही करा लिया जाता है तब तक मेरे व मेरे परिवार द्वारा नगर पालिका परिषद,आजमगढ़ द्वारा वार्ड संo 25 मुहल्ला- जालन्धरी में निर्मित सामुदायिक शौचालय का उपयोग किया जायेगा।

4-मैं बहलफ बयान करता हूँ कि कुल मजमून बयानहल्फी हाजा मेरे निजी ज्ञान में सही व सचहै। स्थान नजदीक कलेक्ट्री कचहरी आजमगढ़। दिनांक - 28-08-2024 ई0

Faizan

ह0शपथी,

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु. 10

NOTARIAL NOTARIAL

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

83AE 345060

समक्ष:- अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद,आजमगढ़।

शपथ पत्र मि० मुख्तार निम्नहै:-

1-मैं बहलफ बयान करता हूंकि मेरा नाम मुख्तार मेरे पिता का नाम गुलामनबी निवासीमु०- जालन्धरी वार्ड नं० 25, आजमगढ़ 30प्र० का हूँ ।

2-मैं बहलफ बयान करता हूँ कि शपथी द्वारा अपने आवास से दैनिक घरेलू कार्य उपयोग के उपरान्त निकलने वाला गन्दा पानी Grey Water तथा सेफटिक टैंक से निकलने वाला गन्दा पानी Black Water पोखरी मैं बहाया जा रहा था । नगर पालिका परिषद,आजमगढ़ द्वारा नोटिस निर्गत कर जिसे बन्द करा दिया गया है।

3-यह कि मैं बहलफ बयान करता हूँ कि शपथी द्वारा अपने घर में शौचालय सेफटिक टैंक का निर्माण कराया जा रहाहै। जब तक मेरे द्वारा सेफटिक टैंक का निर्माण नहीं करा लिया जाता है तब तक मेरे व मेरे परिवार द्वारा नगर पालिका परिषद,आजमगढ़ द्वारा वार्ड संख्या 25 मुहल्ला जालन्धरी में निर्मित सामुदायिक शौचालय का उपयोग किया जायेगा।

4-मैं बहलफ बयान करता हूँ कि कुल मजमून बयानहल्फी हाजा सही व सचहै। स्थान नज़दीक कलेक्ट्री कचहरी आजमगढ़। दिनांक - 28-08-2024 ई०,

ह०शपथी, मुख्तार गुलामनबी

अवर अभियन्ता(निर्माण)
नगर पालिका परिषद
आजमगढ़

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
आजमगढ़

अवर अभियन्ता(निर्माण)
नगर पालिका परिषद
आजमगढ़

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
आजमगढ़

अवर अभियन्ता(निर्माण)
नगर पालिका परिषद
आजमगढ़

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
आजमगढ़

अवर अभियन्ता(निर्माण)
नगर पालिका परिषद
आजमगढ़

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
आजमगढ़

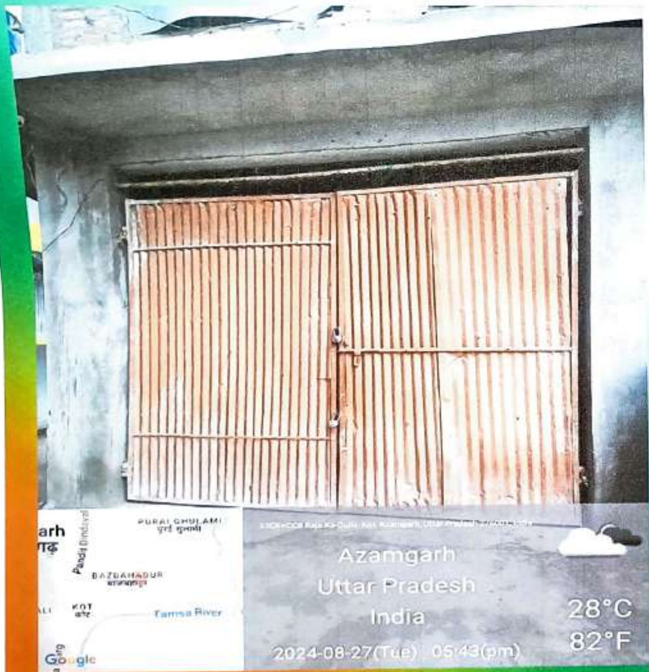

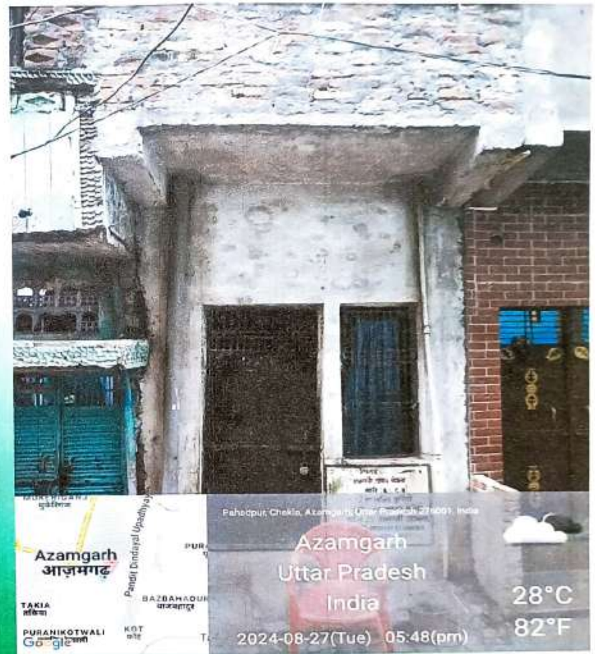

प्र0 सफाई निरीक्षक
नगर पालिका परिषद
आजमगढ़

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
आजमगढ़

स्वच्छता ही सेवा

NAGAR PALIKA PARISHAD AZAMGARH

SWACHH BHARAT MISSION

नगर पालिका परिषद आजमगढ़ द्वारा

मुहल्ला–जालन्धरी शहर–आजमगढ़ में स्थित गड़ही का बायोरेमिडिएशन एवं पम्पिंग सेट के माध्यम से गड़ही में एकत्र गन्दे पानी को निकालने का कार्य

बायोरेमिडिऐशन

अवर अभियन्ता(जल)
नगर पालिका परिषद
आजमगढ़

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
आजमगढ़

बायोरेमिडिऐशन

अवर अभियन्ता(जल)
नगर पालिका परिषद
आजमगढ़

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
आजमगढ़

जलकल विभाग नगर पालिका परिषद आजमगढ़ द्वारा मुहल्ला-जालन्धरी शहर-आजमगढ़ में स्थित गड़ही में एकत्र गन्दे पानी को पम्पिंग(Monoset Pump) सेट के माध्यम से निकालकर मुख्य नाला/नाली में बहाने का कार्य।

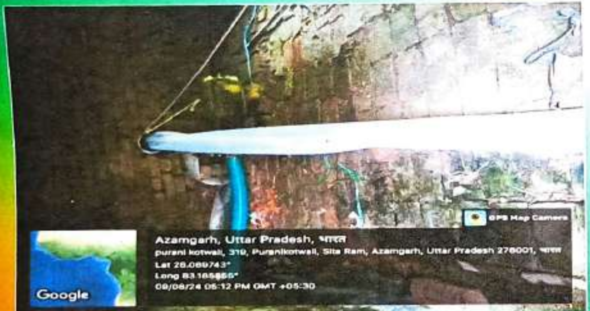

अवर अभियन्ता(जल)
नगर पालिका परिषद
आजमगढ़

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
आजमगढ़

प्र0 सफाई निरीक्षक
नगर पालिका परिषद
आजमगढ़

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
आजमगढ़

प्र0सफाई निरीक्षक
नगर पालिका परिषद
आजमगढ़

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
आजमगढ़

प्र0सफाई निरीक्षक
नगर पालिका परिषद
आजमगढ़

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
आजमगढ़

प्र0सफाई निरीक्षक
नगर पालिका परिषद
आजमगढ़

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
आजमगढ़

प्र0सफाई निरीक्षक
नगर पालिका परिषद
आजमगढ़

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
आजमगढ़

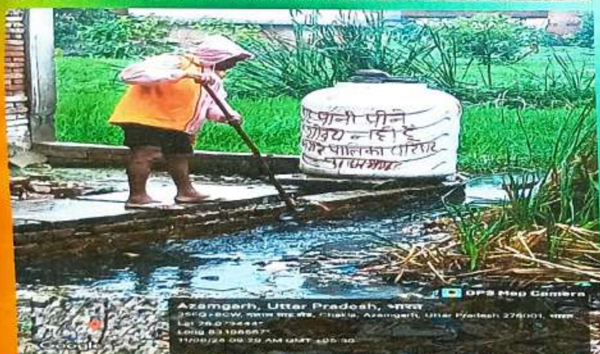

प्र0 सफाई निरीक्षक
नगर पालिका परिषद
आजमगढ़

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
आजमगढ़

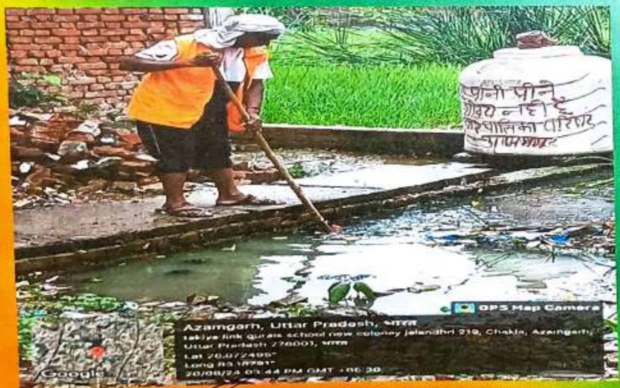

प्र0 सफाई निरीक्षक
नगर पालिका परिषद
आजमगढ़

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
आजमगढ़

प्र0 सफाई निरीक्षक
नगर पालिका परिषद
आजमगढ़

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
आजमगढ़

कार्यालय नगर पालिका परिषद,आजमगढ़

पत्रांकः-463 /न0पा0प0आ0/2024-25 दिनांकः-24/08/2024

सेवा में,

थाना प्रभारी
कोतवाली सदर
आजमगढ़।

विषयः- प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण प्रमुख बेंच, नई दिल्ली द्वारा एम0ए0नं0 61/2024 मदस्सिर हसन व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश दिनांक 01.07.2024 के अनुपालन के सम्वन्ध में मुहल्ला जालंधरी स्थित गड़ही में कुछ चिन्हित घरों से निकलने वाला गन्दा पानी (ग्रे-वाटर) एवं सेप्टिक टैंक से निकलने वाले गन्दे पानी/ठोस अपशिष्टों (ब्लैक वाटर) को गड़ही में फेकने से रोकने के लिए दो वार क्रमशः दिनांक 26.07.2024 एवं 16.08.2024 को नोटिस के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है, किन्तु कुछ लोगों द्वारा मा0 न्यायालय के आदेशों व कार्यालय द्वारा जारी की गयी नोटिस की अवहेलना करते हुए उपरोक्त ब्लैक वाटर व ग्रे-वाटर को गड़ही में प्रवाहित किया जा रहा है। जिसके क्रम में आज दिनांक 24.08.2024 को अवर अभियन्ता (जल), अवर अभियन्ता (निर्माण) एवं प्र0 सफाई निरीक्षक एवं डी0पी0एम0 द्वारा स्थलीय निरीक्षण में अवगत कराया गया कि निम्नलिखित लोगों द्वारा घरों से निकलने वाले गन्दे पानी एवं सेप्टिक टैंक से निकलने वाले गन्दे पानी/ठोस अपशिष्टों को गड़ही में प्रवाहित किया जा रहा है।

1- श्री आफताव पुत्र श्री मुख्तार, मो0नं0-9695087704
2- श्री शाहनवाज अहमद पुत्र स्व0 मुमताज अहमद मो0नं0-9839080980
3- श्री अब्दुल जव्वार कुरेशी पुत्र श्री अब्दुल रहीम
4- श्री शमीम पुत्र श्री गुलाम अली
5- श्री कल्ली पुत्र श्री सत्तार।
6- श्री फैजान पुत्र श्री फिरोज अहमद।
7- श्री नासिर कुरेशी पुत्र श्री नूर अहमद।
8- श्री दानिश पुत्र श्री मुख्तार।
9- श्री मोअज्जम पुत्र श्री नसीम खाँ।
10-श्री वसीम पुत्र श्री सलीम।

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण प्रमुख बेंच, नई दिल्ली द्वारा एम0ए0नं0 61/2024 मदस्सिर हसन व अन्य वनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 में पारित आदेश के अनुपालन में इस कार्यालय द्वारा दी गयी नोटिस के क्रम में उपरोक्त व्यक्तियों के विरूद्ध जलप्रदूषण अधिनियम के अन्तर्गत सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करने का कष्ट करें।

भवदीय

कृते अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
आजमगढ़

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
आजमगढ़

प्रतिलिपिः-अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)/प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय महोदय आजमगढ़ को सादर सूचनार्थ।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
आजमगढ़

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (जिला):** आजमगढ़
P.S. (थाना): कोतवाली **Year (वर्ष):** 2024
FIR No.(प्र.सू.रि. सं.): 0474
Date &Time of FIR(प्र.सू.रि. की दिनांक/समय): 24/08/2024 22:15

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	जल (प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974	43

3.(a) **Occurrence of offence** (अपराध की घटना) :

1. **Day** (दिन): **Date From** (दिनांक से): **Date To** (दिनांक तक):
Time Period (समय अवधि): **Time From** (समय से): **Time To** (समय तक):

(b) **Information received at P.S.** (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):
Date (दिनांक): 24/08/2024 **Time** (समय):22:15 बजे

(c) **General Diary Reference** (रोजनामचा संदर्भ):
Entry No. (प्रविष्टि सं.): 050 **Date & Time** (दिनांक और समय): 24/08/2024 22:15 बजे

4. **Type of Information** (सूचना का प्रकार): लिखित

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

5.Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): उत्तर, 01 किमी
   Beat No. (बीट सं.):
   (b) Address (पता): मुहल्ला जालंधरी

   (c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):
   Name of P.S. (थाना का नाम):
   District(State) (ज़िला (राज्य)):

6.Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): श्री वेद प्रकाश राय
(b) Father's/Husband's Name(पिता / पति का नाम):
(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1992
(d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत
(e) UID No. (यूआईडी सं.):
(f) Passport No.(पासपोर्ट सं.):
   Date of Issue (जारी करने की तिथि):
   Place of Issue (जारी करने का स्थान):
(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License, PAN)

S.No.(क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

(h) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	कृते अधिशासी अधिकारी नगरपालिका,परिषद आजमगढ , कोतवाली,आजमगढ,उत्तर प्रदेश,भारत
2	स्थायी पता	कृते अधिशासी अधिकारी नगरपालिका,परिषद आजमगढ ,

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

2	स्थायी पता	कोतवाली,आजमगढ़,उत्तर प्रदेश,भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-8299867006

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars
(ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	श्री आफताब		पिता का नाम : श्री मुख्तार	1. जालंधरी,कोतवाली,आजमगढ़, उत्तर प्रदेश,भारत
2	श्री शाहनवाज अंहमद		पिता का नाम : स्व0 मुमताज अहमद	1. जालंधरी,कोतवाली,आजमगढ़, उत्तर प्रदेश,भारत
3	श्री अब्दुल जब्बार कुरैशी		पिता का नाम : श्री अब्दुल रहीम	1. जालंधरी,कोतवाली,आजमगढ़, उत्तर प्रदेश,भारत
4	श्री शमीम		पिता का नाम : श्री गुलाम अली	1. जालंधरी,कोतवाली,आजमगढ़, उत्तर प्रदेश,भारत
5	श्री कली		पिता का नाम : श्री सत्तार	1. जालंधरी,कोतवाली,आजमगढ़, उत्तर प्रदेश,भारत
6	श्री फैजान		पिता का नाम : श्री फिरोज अहमद	1. जालंधरी,कोतवाली,आजमगढ़, उत्तर प्रदेश,भारत
7	श्री नासिर कुरैशी		पिता का नाम : श्री नूर अहमद	1. जालंधरी,कोतवाली,आजमगढ़, उत्तर प्रदेश,भारत
8	श्री दानिश		पिता का नाम : श्री मुख्तार	1. जालंधरी,कोतवाली,आजमगढ़, उत्तर प्रदेश,भारत

9	श्री मोअज्जूम		पिता का नाम : श्री नसिम खा	1. जालंधरी,कोतवाली,आजमगढ़, उत्तर प्रदेश,भारत
10	श्री वसीम		पिता का नाम : श्री शलीम	1. जालंधरी,कोतवाली,आजमगढ़, उत्तर प्रदेश,भारत

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. Total value of property (In Rs/-)-सम्पति का कुल मूल्य(रु

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No. UIDB Number

12. First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल तहरीर हिन्दी वादी -कार्यालय नगर पालिका परिषद ,आजमगढ। पत्रांक 463/न0पा0पा0प0आ0/2024/25 दिनांक 24.08.24 सेवा मे थाना प्रभारी कोतवाली सदर आजमगढ विषयः- प्रथम सूचना रिर्पोट दर्ज करने के सम्बन्ध में। महोदय,कृपया अवगत कराना है कि मा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण प्रमुख वैच, नई दिल्ली द्वारा एम0ए0नं0 61/2024 मदस्सिर हसन व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यूपी में पारित आदेश दिनांक 01.07.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में मुहल्ला जालंधरी स्थित गड़ही में कुछ चिन्ह्ति घरों से निकलने वाला गन्दा पानी (ग्रे-वाटर) एवं सेप्टिक टैंक से निकलने वाले गन्दे पानी/ठोस अपशिष्टों (ब्लैक वाटर) को गड़ही में फेकने से रोकने के लिए दो बार क्रमशः दिनांक 26.07.2024 एवं 16.08.2024 को नोटिस के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है, किन्तु कुछ लोगों द्वारा मा न्यायालय के आदेशों व कार्यालय द्वारा जारी की गयी नोटिस की अवहेलना करते हुए उपरोक्त ब्लैक वाटर व ग्रे-वाटर को गड़ही में प्रवाहित किया जा रहा है। जिसके क्रम में आज दिनांक 24.08.2024 को अवर अभियन्ता (जल), अवर अभियन्ता (निर्माण) एवं प्र सफाई निरीक्षक एवं डीपीएम द्वारा स्थलीय निरीक्षण में अवगत कराया गया कि निम्नलिखित लोगों द्वारा घरों से निकलने वाले गन्दे पानी एवं सेप्टिक टैंक से निकलने वाले गन्दे पानी ठोस अपशिष्टों को गड़ही में प्रवाहित किया जा रहा है। 1- श्री आफताव पुत्र श्री मुख्तार, मो0नं0-9695087704 2- श्री शाहनवाज अहमद पुत्र स्व मुमताज अहमद मो0नं0-9839080980 3- श्री अब्दुल जब्बार कुरैशी पुत्र श्री अब्दुल रहीम 4- श्री शमीम पुत्र श्री गुलाम अली 5.श्री कली पुत्र श्री सत्तार 6-श्री फैजान पुत्र श्री

फिरोज अहमद 7- श्री नासिर कुरैशी पुत्र श्री नूर अहमद। 8- श्री दानिश पुत्र श्री मुख्तार। 9- श्री मोअज्जूम पुत्र श्री नसीम खा। 10-श्री वसीम पुत्र श्री सलीम।अतः मा राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण प्रमुख बैंच, नई दिल्ली द्वारा एम0ए0नं0 61/2024 मदस्सिर हसन व अन्य बनाम स्टेट ऑफ यूपी में पारित आदेश के अनुपालन में इस कार्यालय द्वारा दी गयी नोटिस के क्रम में उपरोक्त व्यक्तियों के विरूद्ध जलप्रदूषण अधिनियम के अन्तर्गत सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करने का कष्ट करें।हस्ताक्षर अग्रेजी अपठनीय कृते अधिशाषी अधिकारी नगर पालिका परिषद आजमगढ वेद प्रकाश राय MOB-8299867006प्रतिलिपी अपर जिलाधिकारी(वि0रा0)/प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय महोदय आजमगढ को सादर सूचनार्थ हस्ताक्षर अपठनीय अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद आजमगढ आदेश श्रीमान् प्रभारी निरीक्षक महोदय HM/CMकृ0FIRपंजीकृत करे हस्ताक्षर Sdअपठनीय नोट मै का0मु0 रितेश उपाध्याय प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा तहरीर को अक्षरशः टाईप किया गया।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है |)

(1) **Registered the case and took up the investigation:** (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): **or** (या)

(2) **Directed (Name of I.O.)** (जांच अधिकारी का नाम): Abhishek kumar kushwaha **Rank** (पद): SI (Sub-Inspector)

No. (सं.): 231051912 **to take up the Investigation** (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) **or** (या)

(3) **Refused investigation due to** (जांच के लिए):

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी |)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

14 Signature/Thumb impression of the complainant / informant.(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15 Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)
Name SASHI MAULI PANDEY
Rank I (Inspector)
No. 002300069

दूरभाष / मो0– 9473942707
E-Mail- ee 2cd azamgarh@yahoo.in

उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय)
मेहता लाइब्रेरी भवन, सिविल लाइन्स, आजमगढ़।

पत्रांक 732 / आर–2 / 05 दिनांक 24.08.2024

सेवा में,

अधीक्षण अभियन्ता
निर्माण मण्डल,
उ0प्र0 जल निगम (नगरीय)
आजमगढ़।

विषयः– ग्राम / मुहल्ला जालन्धरी, आजमगढ़ क्षेत्र की बसावट की जमीन नीची होने के कारण क्षेत्र में घरेलू अपशिष्ट जल इकट्ठा होने के कारण प्रदूषण एवं जन सामान्य स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है के सम्बन्ध में अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक मा0 हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली द्वारा एम0ए0 नं0 61 / 2024 मूल आवेदन संख्या 42 / 2024 मदासिर हसन व अन्य बनाम स्टेट व यू0पी0 व अन्य में मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 01.07.2024 द्वारा मोहल्ला जालन्धरी स्थित गढ़ही में घरेलू अपशिष्ट जल इकट्ठा होने के कारण प्रदूषण एवं जन सामान्य स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है के सम्बन्ध में अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे। मा0 न्यायालय के दिनांक 01.07.2024 को दिये गये आदेश के अनुपालन में अवगत कराना है कि आजमगढ़ नगर पालिका परिषद के अन्तर्गत मोहल्ला जालन्धरी हेतु उक्त याचिका डाली गयी है। मोहल्ला जालन्धरी में कुल 301 परिवार निवास करते हैं, 301 घरों से निकलने वाले सीवेज के स्थायी निस्तारण हेतु जालन्धरी मोहल्ले में कुल 1600 मी0 सीवर लाइन का कार्य कराया जाना है, जिसके सापेक्ष वर्तमान तक 1100 मी0 सीवर लाइन बिछाये जाने का कार्य पूर्ण करा लिया गया है तथा शेष 500 मी0 सीवर लाइन बिछाने का कार्य प्रगति पर है। कार्य स्थल की फोटोग्राफ संलग्न है (संलग्नक–1)। वर्षा ऋतु के दृष्टिगत एवं मोहल्लें की गलियां सकरी होने के कारण अवशेष कार्य को 15.09.2024 तक पूर्ण करा दिया जायेगा। इसके साथ यह भी अवगत कराना है कि आजमगढ़ नगर पालिका परिषद हेतु अमृत कार्यक्रम के अन्तर्गत 08 एम0एल0डी0 सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट लागत रु0 4221.46 लाख वर्ष 2019 में स्वीकृत है, जिसके अन्तर्गत 08 एम0एल0डी0 सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट का निर्माण कार्य एवं नगर पालिका के हीरापट्टी, पहाड़पुर, गुलामी का पुरा, एलवल, अराजीबाग, जालन्धरी, रैदोपुर आंशिक, मुकेरीगंज आदि वार्डो में 22.40 कि0मी0 सीवर लाइन का कार्य प्रस्तावित है, जिसका लगभग 95 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चूका है। शेष कार्य प्रगति पर है, जिसे

दूरभाष / मो0– 9473942707
E-Mail- ee - 2cd - azamgarh@yahoo.in

उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय)
मेहता लाइब्रेरी भवन, सिविल लाइन्स, आजमगढ़।

पत्रांक 732 / आर–2 / 05 दिनांक 24.08.2024

दिनांक 30 सितम्बर, 2024 तक पूर्ण कर क्रियाशील करा दिया जायेगा। मोहल्ला जालन्धरी में डाली जाने वाली सीवर लाइन को सीवेज शोधन हेतु निर्माणाधीन 08 एम0एल0डी0 सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट से ही जोड़ा जाना है।

अतः सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के क्रियाशील होने के उपरान्त मोहल्ला जालन्धरी में डाली गयी समस्त सीवर लाइन को क्रियाशील करते हुए उक्त समस्या का स्थायी समाधान कर दिया जायेगा (योजना के फोटोग्राफ संलग्न)।

आख्या सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(एस0के0 सिंह)
अधिशासी अभिन्ता

पृ0सं0 / / दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, आजमगढ़।
2. मुख्य अभियन्ता (प्रया0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), प्रयागराज।
3. अपर जिलाधिकारी (वि0 / रा0) / प्रभारी अधिकारी, स्थानीय निकाय, आजमगढ़ को उनके पत्र संख्या 366 दिनांक 13.08.2024 के अनुपालन में सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता

STP AZAMGARH PHOTOGRAPH

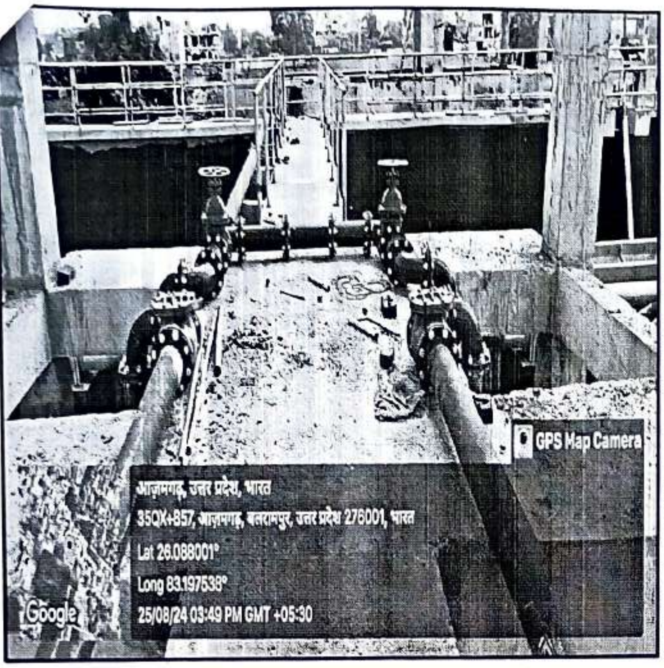

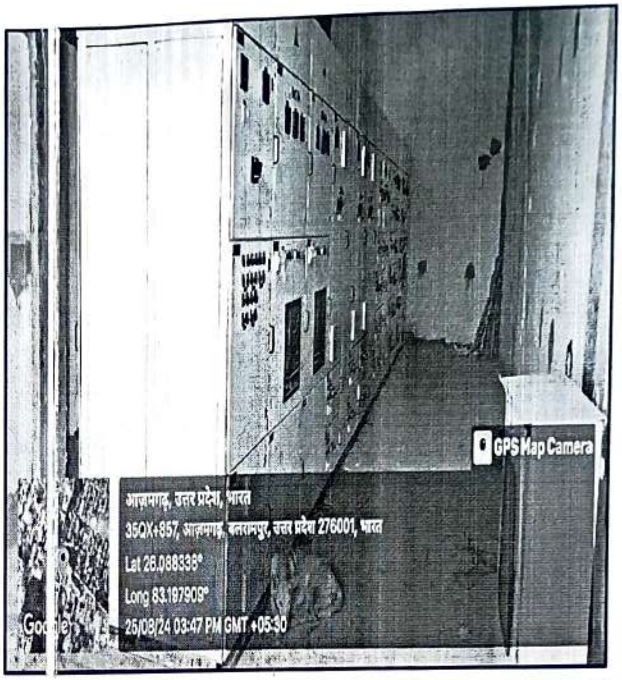

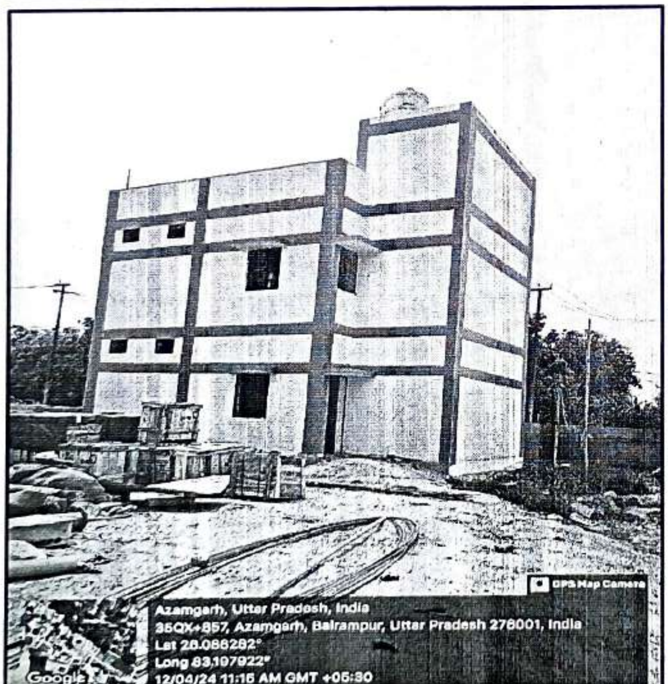

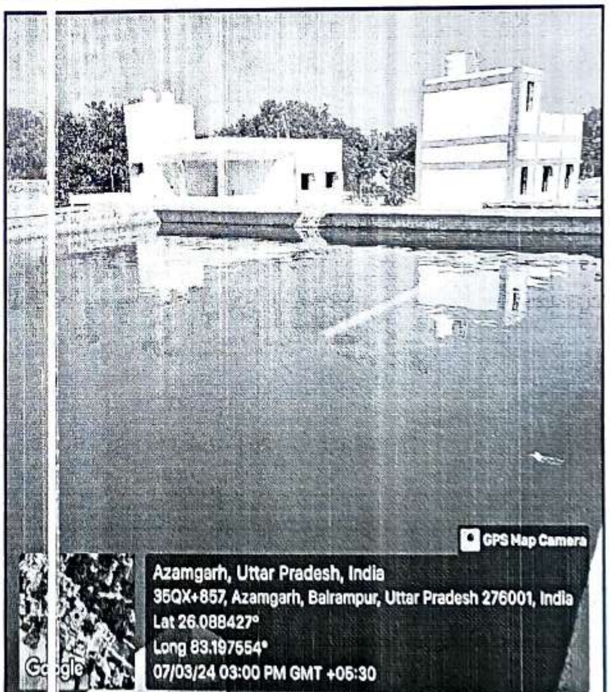

SEWER LINE PHOTOGRAPHS IN JALANDHARI